न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

II/निगरानी/शिवपुरी/भूरा/2017/3930

प्रकरण क्रमांक /2017–18 निगरानी

नथुआ पण्डित उर्फ रामेश्वर पुत्र नंदू शर्मा, निवासी– धोलागढ़ फाटक, परगना व जिला शिवपुरी म.प्र.....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती सरोज पत्नी विनोद धाकड़
2. श्रीमती सरवदी पत्नी कैलाश धाकड़
3. श्रीमती अरूणा पत्नी संतोष धाकड़

समस्त निवासीगण– ग्राम टेंहटा, हिम्मतगढ़ परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.

..प्रतिप्रार्थीगण/प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, संभाग ग्वालियर (श्री बी.डी. अग्रवाल) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2017, प्रकरण कमांक 55/2016–17 द्वितीय अपील, (नथुआ बनाम सरोज व अन्य) अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 से व्यथित होकर

.....

<u>माननीय न्यायालय,</u>

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रतिप्रार्थीगण द्वारा विचारण तहसील न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि <u>प्रतिप्रार्थी/आवेदकगण</u> के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम टेंहटा हिम्मतगढ़ में सर्वे कमांक 550/1 रकवा 0.82 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 827/1 रकवा 1.10 हेक्टेयर स्थित है उपरोक्त भूमि का विधिवत् सीमांकन दिनांक 25.06.2015 को कराया गया तब जानकारी लगी कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण की उपरोक्त भूमि के कुछ भाग पर दो पक्के कमरे बनाकर एवं स्टॉल रखकर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3930 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.12.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय में और उनके समक्ष यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा 3200 वर्गफीट भूमि कल्याण आदिवासी से किराये पर ली है। आवेदक किरायेदार की हैसियत रखता है। उन्होंने पटवारी की सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा के आधार पर यह भी पाया है कि आवेदक द्वारा विवादित भू–खण्ड पर कमरे बनाकर एवं स्टॉल लगाकर अतिक्रमण पाया गया है। उक्त कारणों से उन्होंने विचारण न्यायालय एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। जिनमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	